

दो आना

हरिजन सेवक

भाग १०

सम्पादक - प्यारेलाल

अंक ४६

मुद्रक और प्रकाशक
जीवन्जी डाक्षाभानी देसाबी
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदाबाद

अहमदाबाद, रविवार, ता० १५ दिसम्बर, १९४६

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६,
विदेशमें रु० ८; शि० १४; डॉलर ३

तरक्कीकी निशानी

श्री परीक्षितलाल मजमूदारने भाऊ श्यामलालजीके नाम अेक दिल छूनेवाला खत लिखा है। वैसे जिस खतकी बातोंका जिक्र अेक दूसरे चरियेसे मिली खबरके मुताबिक मैं पहले गुजराती 'हरिजनबन्धु'में कर चुका हूँ। फिर भी भाऊ श्यामलालजीकी तरफसे आये श्री परीक्षितलाल मजमूदारके खतका कुछ हिस्सा, पुरानी बातके दोहराये जानेका खतरा खुठाकर भी, नीचे देता हूँ।

"मुझे आपको यह लिखते हुओ खुशी होती है कि आजिर भगवान्की दयासे रास्ता खुलने लगा है। मैं यह खत बारडोलीसे लिख रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जिस साल गांधी-जयन्तीके हफ्तेमें हरिजनोंके लिये कर्तीव ४० कुओं खुले दिलसे खोले जा चुके हैं। ध्यान रहे कि जिसके लिये किसी तरहका दबाव नहीं ढाला गया था। लोगोंने अपनी राज्य-खुशीसे यह काम खुठा लिया है। अैसे मौकों पर हमारे काम करनेवाले सभी जगह पहुँच नहीं पाये; मगर गांववालोंने खुद ही हरिजनोंको तैयार किया और वे अन्हें आम कुओं पर पानी भरनेके लिये ले गये। मेरे पास अब तक जिसकी खबरें बराबर आ रही हैं। मैं खुद कुछ जलसेमें शरीक हुआ हूँ, और यह चमत्कारी फेरफार मैंने अपनी आँखों देखा है। जिसके लिये मैं भगवान्को धन्यवाद देता हूँ। जिसमें शक नहीं कि गांधीजीकी कोशिशें और हालके खुनके लेखोंकी बजाईसे यह तब्दीली हुई है। गाँवोंके नौजवानोंने आगे बढ़कर जिसमें मदद की है, बड़े-बड़े पीछे रहे हैं, लेकिन अनुदोषने या तो जिसके लिये अपनी दुआयें भी हैं, या वे खामोश रहे हैं। खुनमेंसे किसीने विरोध नहीं किया। मैं आपको यह भी बता दूँ कि जिधर जिस तरफ कभी अन्तर्जातीय दावतें भी हुई हैं। अैसी अेक बड़ी दावत नदियादमें हुआई थी। नदियाद खेदा जिलेकी सच्ची राजधानी है। कर्तीव ४५० लोग, जिनमें २५० के कर्तीव बूँची जातके हिन्दू थे, अपने-अपने धरेसे पका-पकाया खाना लाये और रामजी मन्दिरके आँगनमें बैठकर सबने भोजन किया। सन् १९२८में श्री ठक्कर बापाने यह मन्दिर भंगियोंके लिये बनवाया था। जिस दावतमें २०० भंगी भी शरीक हुओ थे। बदा आनन्द रहा। चूँकि लोग अपने-अपने धरेसे पका-पकाया खाना ले आये थे, जिसलिए राशनका कानून नहीं दूटा। खेदा जिलेमें हरिजनों और सवर्णोंकी जितनी बड़ी दावत जिससे पहले कभी नहीं हुई थी।

"कड़ी गाँवमें, जो कट्टरपन्थियोंका गढ़ है, अेक खास कुआँ खोला गया है, और बड़ौदा रियासतके पादरा गाँवमें १५० लोगोंने हरिजनोंके साथ बैठकर खाना खाया है। यहाँ जिस तरहके काम कभी जगह हो चुके हैं, लेकिन किलहाल मैं खुन सबको गिना नहीं सकता।

"जिस बारेमें मैं गुजरातीमें बापाको अेक लम्बा खत लिखना चाहता हूँ, लेकिन वे खुसे पढ़ न सकेंगे। अगर मुमकिन हो, तो यह खत आप अन्हें सुना दीजिये।"

हम जिस जगह पहुँचना चाहते हैं, खुसके मुकाबलेमें यह तरक्की

वहुत ही मामूली चीज है। लेकिन जब यह खयाल आता है कि अब तक गुजरात छुआळूत मिटानेके काममें पिछड़ा रहा है, तो जिस थोड़ी तरक्कीका जिक्र श्री परीक्षितलालने क्षम्य सन्तोषके साथ किया है, असुसे खुशी होती है। शर्त यही है कि गुजरातके लिये यह अेक स्थायी चीज बने, और जिससे भी अम्बा काम वहाँ बराबर होते रहें। छुआळूतके कफ़नमें ठोकी गयी हरअेक कील हिन्दूधर्मको पवित्र बनानेके लिये खुठाया गया सही कदम है। श्रीरामपुर, ३०-११-'४६ (अंग्रेजीसे)

मोहनदास करमचंद गांधी

सवाल-जवाब

सम्बोधनके प्रकारोंमें साम्प्रदायिकता

स०—कांग्रेसी सरकारोंने रेलवे स्टेशनों पर "हिन्दू पानी (या चाय)" और "जिस्लामी पानी (या चाय)"की पुकारोंका बन्द करानेकी जो कोशिशें की हैं, वे मुझे अच्छी मालूम होती हैं। लेकिन साथ ही, क्या हिन्दुओं और मुसलमानोंके लिये सम्बोधनके अलग-अलग प्रकारोंके जिस्तेमालसे, मसलन, हिन्दुओंके लिये श्री, श्रीयुत या श्रीमान् और मुसलमानोंके लिये जनाब-साहब लिखने या बोलनेसे अैसे ही फिरकेवाराना अलगावको बढ़ावा नहीं मिलता? यह ठीक है कि जिनका जिस्तेमाल सम्मान जतानेके लिये किया जाता है। खुद गांधीजीने जिसकी शुरूआत की है, और आम तौर पर कांग्रेसी जिसका अनुसरण करते हैं। मगर मेरा अपना खयाल यह है कि असलमें हम लोग, यानी जुदा-जुदा जातों और फिरकोंके लोग, जिस बातको पूरी तरह भूल नहीं पाते कि हम फलं जात या फिरकोंके हैं। नतीजा यह होता है कि कहीं-न-कहीं हम अपने कामोंमें अपना असली रूप दिखाये बिना रह नहीं पाते। क्या आप जिस पर अपनी राय जाहिर कीजियेगा?

ज०—यह अेक अच्छा सवाल है। मैं खुद तो जातपैंत जतानेवाले सम्बोधनोंको पसन्द नहीं करता — वे मुझे जँचते ही नहीं।

लेकिन किलहाल मुख्तलिफ़ जातों और फिरकोंके बीच अविश्वासकी जो हवा फैली हुई है, खुसका खयाल करता हूँ, तो लगता है कि यह बहुत किसी तरहका फेरफार दुश्मानेके लिये अच्छा नहीं है। ऐसा सुझाव किसी अेक जातके आदमीने किया है, यह इक्कीकृत ही, दूसरी जातवालोंके नजदीक खुसे नामंज़ूर कर देनेके लिये काफ़ी हो सकती है। बाबजूद जिसके, अगर कोअी पाठक हिन्दुस्तानी ढंगके, सबको पसन्द आ सकेवाले, सम्बोधनका कोअी सामान्य प्रकार खुशायेंगे, तो खुस पर गौर किया जा सकेगा।

खुद मुझे जिस बातसे सन्तोष होगा कि मैं सभी मरदोंको "भाऊ या भाऊजी अ, या भाऊ आ जी, या भाऊ अ साहब" और सभी औरतोंको "बाऊ या बाऊजी अ, या बाऊ आ जी, या बाऊ अ साहब" कहूँ, फिर वे किसी भी जात या फिरकेके क्यों न हों। जिनमें 'जी' और 'साहब'को बोलने या लिखनेवाले अपनी मरजोंके मुताबिक चाहे लिखें, बोलें, चाहे न लिखें, न बोलें। लेकिन 'हरिजन' साप्ताहिकोंमें तो गांधीजीने जो तरीका चलाया है, वही तब तक चलेगा, जब तक वे खुसकी जगह खुसरी कोअी बात नहीं सुझायें।

वापी, ७-१२-'४६ (अंग्रेजीसे) किशोरलाल घ० मशरूवाला

छुआळूतकी जड़

सूरत जिल्हे में आमतौर पर छुआळूतकी घिन कम है। फिर, आजकल तो जिस बुराओंको मिटानेके लिये वहाँ खासी हलचल शुरू हुई है। हरिजनोंके साथ बैठकर साना-खाने, और जातवालोंके घरोंमें झुनकी आमद-फ्रत बढ़ाने, और जातवालोंके कुओंमें शुरू हुए पानी भरने देने, और खास मौकों पर मन्दिरोंमें दाखिल होने देनेकी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। फिर भी जब तक मनुष्य मनुष्यके बीचका मेदभाव दिल्ले दूर नहीं होता, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि छुआळूत मिटने लगी है।

जलालपुर ताड़का समितिके सदर श्री लालभाऊ नायककी ओक पत्रिकासे लिये गये नीचेके दो क्रिस्टे गौर करने लायक हैं—

“कुछ दिन पहले अदाम गाँवमें एक हरिजन भाषी गाँवके बाहर एक आम जगह पर बैठकर दातुन ढील रहा था। जिसनेमें एक पाठीदार सज्जनका लड़का शुरुरसे निकला। युसने बात-बातमें युस हरिजन भाषीको गाली दी। हरिजनने लड़केसे कहा कि वह गाली न दे। जिसपर युसने दूसरी गाली दी। जिससे युस हरिजन भाषीको युसा आ गया और युसने युस लड़केको दो चपतें जमादीं। लड़केने घर जाकर अपने बापसे शिकायत की। बाप युस हरिजनको लेकर घटेके घर गया। घटेलने हरिजनको लाठीसे पीटा, और थूपसे गालियाँ देकर युसकी तौहीन की।

“दूसरा बाक्यां... कठोली गाँवका है। कठोलीके एक हरिजनके वाहेमें निसी अनाविल भाषीकी गाय थुकर, नुकसान करती थी। हरिजनने गाय निकालकर भगा दी। लेकिन युसकी घरवाली अपनी, आदतके मुताविक, अनाविलको गाली देने लगी। एक अनाविल नौजवान हरिजन बस्तीके पाससे जा रहा था। युसने गाली सुनी और युस बहनको गाली न देनेका दुक्षम देने लगा। जिस पर एक दूसरे हरिजनने युस बहनका बचाव किया। नौजवानने हरिजनको देख लेनेकी धमकी दी और वह चल दिया।

“दूसरे दिन, जिस हरिजनका नुकसान हुआ था, युसे युस अनाविल नौजवान और युसके कुछ दोस्तोंने मिलकर, गाँवके बाहर न सिर्फ धमकाया, बल्कि कहा यह जाता है, कि युस पर हाथ भी चलाया। कुछ लोगोंने बीचमें पटकर हरिजनको अनाविल नौजवानोंके हमलेसे छुड़ाया।

“अगले दिन गाँवके कुछ हरिजनोंने मार खानेवाले हरिजनके साथ जिन्साफ करनेके लिये गाँवके चन्द अनाविल अगुलोंसे प्रारंभन की। लेकिन गाँवके किसी आदमीने हरिजनोंकी मदद करनेकी मुस्तैदी नहीं दिखाई। यही नहीं, बल्कि कुछ लोग तो हरिजनों पर युस्ता होकर अनुपीं पटेकोंतैयारी करते नजर आये। जिस पर कुछ समझदार लोगोंने हरिजनोंको वहाँसे चले जानेकी सलाह दी, और जिस तरह इशारा होते होते बचा।”

आम तौर पर यह माना जाता है कि सूरत जिल्हे के लोगोंमें मार-पीट करनेकी आदत कम है। लेकिन जब हरिजनोंकी बात आती है, तो युनकी यह नरसी गायब हो जाती है। जब हरिजन जैसी हलकी मानी जानेवाली जातके लोग अनाविल या पाठीदार जैसी और जहलानेवाली जातके लोगोंसे कोअभी दलील करनेकी हिम्मत दिखाते हैं, या युनके अन्यायपूर्ण बरतावकी तरफ युनका ध्यान दिलानेकी कोशिश करते हैं, तो यह युनसे बिलकुल सहा नहीं जाता; और वे यह महसूस भी नहीं करते कि हरिजनोंको गाली देनेमें या धौल-धप्पोंसे युनकी पूजा करनेमें कोअभी बुराओंहैं। हम यह सब मानो धर्मके नाम पर करते हैं। हिन्दूधर्म तो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य किसी भी जात या धर्मका हो, पढ़ा-लिखा हो या अनपढ हो, कोअभी भी धन्वा या पेशा करता हो—अगर वह पेशा समाजके लिये युपयोगी है, और अमानदारीके साथ किया जाता है, तो—जिन्सानके नाते न वह और जाता है, न नीचा है, क्योंकि सभी जिन्सानोंमें एक ही आत्मा रहती है, और सभी जिन्सान ऐक ही अीश्वरके अंश हैं। लेकिन जिस शानदार धर्मको विगाहकर हम जात-पाँतके और और और नीचके दायरे बनाकर बैठ गये हैं। अभी तक हम यह नहीं समझ

पाये कि जिसकी बजहसे हमारा समाज कितना कमज़ोर और अपाहिज बन गया है, और बनता जाता है; या यों कहिये कि अब धीरे-धीरे हम जिस बारेमें कुछ समझने लगे हैं। अगर हम यह सोचकर बेफिकर हो जायेंगे कि जिस तरहकी समझदारी समाजमें हौले-हौले ही फैलेगी, तो हम अपनी हस्तीको ही खतरेमें डाल देंगे। अब हौले-हौले काम करनेकी रीत नहीं चलेगी। जितनी जल्दी हम छुआळूतकी जिस जड़को, और जात-नीचके अपने जिन खालोंको, मिटायेंगे युनी ही अपनी जैर समझिये।

अपनी जातकी छुच्चताका गहर लेकर घूमनेवाले लोग यह तो समझ ही ले कि कैसी भी हलकी या नीच मानी जानेवाली जातके किसी भी आदमीको मारने, गाली देने या युसकी तौहीन करनेका युनहें कोअभी हङ्ग नहीं। ऐसे लोग हिन्दू समाजका संगठन करनेकी बात करते सुने जाते हैं। अगर हिन्दू समाजका सच्चा संगठन करना है, तो वह दूसरी किसी जातके या धर्मके लोगोंके खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही समाजमें युसी हुआ बुरायियोंके खिलाफ, अन्याय और अत्याचारकी वृत्तिके खिलाफ, और डर व बुजादिलीकी आदतके खिलाफ करना है। छुआळूतकी बुराओं जिन सब बुरायियोंमें सिरमार हैं।

सावरमती, १०-१२-४६ (गुरातासे) नव्वरि परीख

शास्त्रके सहारे हैवानियत !

जब जिन्सान अपने अन्दर पात्री जानेवाली लड़ाओं, कल्त, दुरमनी, जिनाकारी, चौरी, छुठाओं, जुल्म, शराब और गोशतकी दावतें बैरोरा देने और लोगोंको वैसा करनेकी प्रेरणा देनेवाली वृत्तियोंके समर्थनमें शास्त्र या शरीरातका सहारा लेता है, या जिन कामोंको धार्मिक विधियों या महान् नैतिक हेतुओंका जामा पढ़नाता है, तब धर्म या मजहबके नामका जितना भदा युपयोग होता है कि दमभरके लिये दिल यह चाहने लगता है कि जिससे बेहतर तो यह था कि धर्म और नीति, मजहब और जिलाके बारेमें कोअभी किताबें ही न लिखी जातीं।

अच्छे-बुरे या मुनासिब-नामुनासिब बरतावका फैसला करनेके लिये भले-भलेकी पहचान करनेवाली अपनी बुद्धिका अस्तेमाल करनेके बदले जब जिन्सान धर्मशास्त्र या शरीरातके पश्चे शुलटने बैठता है, तब अक्सर वह शलत रास्ता पकड़ लेता है, और दूसरोंको भी युसी रास्ते ले जाता है। क्योंकि वह जानता है कि विवेक-बुद्धिकी कसौटी पर युसका बरताव ठीक सावित नहीं किया जा सकता; मगर युसे वैसा सावित तो करना है; चुनाँचे धार्मिक साहित्यमें ऐसे कामोंके लिये कोअभी आधार मिल जाय, तो बेफिकरी हो।

अेक गम्भीर स्वभाववाले अन्यायी भाषीके पूछे हुये नीचे लिखे सवालोंने दिलमें थूपरके खाल पैदा किये—

१ “यह माना जाता है कि महाभारतकी लड़ाओं एक धर्मिक लड़ाओं भी। फिर भी जिसमें कोअभी शक नहीं कि वह रिश्तेदारोंको आपस-आपसनी ही लड़ाओं भी। आजकल जिसे हम राष्ट्र-क्रोका गृहयुद्ध या सिविलवॉर कहते हैं, वह युसी ढंगकी लड़ाओं भी। क्या वैसी लड़ाओं धर्म-युद्ध मानी जा सकती है? तो फिर आजकलके हिन्दू-मुस्लिम या वैसे दूसरे दोनों भी धर्म-युद्ध क्यों न माने जायें? जिसमें अल्पसंख्यक लोग जो अन्यायपूर्ण मैंगें पेश करते हैं, वे कैसे मंजूर की जायें? जिनके खिलाफ धर्म-युद्ध ही हीना चाहिये या नहीं?

२. क्या श्रीकृष्णने भी धर्मकी विजयके लिये, आन-बानके मौके पर, हथियार न युठानेकी अपनी प्रतिष्ठा तोड़कर रथचक्र (सुदर्शन) नहीं सँभाला था? आज जिस आन-बानके मौके पर पूज्य महामार्जी रथचक्र जितनी हिंसा क्यों नहीं करने देते?

जब तक हम अपने सामने पेश मसले पर, अपनी विवेक-बुद्धिका अस्तेमाल करके, गौर नहीं कर लेते, तब तक धर्मशास्त्र या धितिहासका सहारा खोजनेका मौका ही पैदा नहीं होता। यह आदत ही बुरी है।

अखण्ड हिन्दुस्तान या पाकिस्तानके सियासी मसलेको एक और रखकर सिर्फ मानव-हित और मानव-धर्मकी, साधारण विवेक-बुद्धिसे

और सात्त्विक दृष्टिकोणसे, छान-बीन कीजिये। कलकत्तेमें, पूरबी बंगालमें और बिहारमें जो जबरदस्त मार-काठ, लूट-पाट, आग और तरह-तरहके जुल्म हुये, और दूसरे स्थानोंमें छोटे-मोटे दंगोंसे लेकर छुरी भोजनेके तककी जो वारदातें हो रही हैं, क्या अनुमें अिनसानियत है? क्या खुन्हें जारी रखना या बढ़ावा देना मुनासिब है? क्या आपकी विवेक-बुद्धि शैतानियतके अिस तमाशेको बाजिब ठहराती है? क्या आपका सात्त्विक हृदय अिसे पसन्द करता है? आपमें यह पागलपन कैसे और कहाँसे आ गया कि अगर आप हिन्दू हैं, तो मुसलमानोंको, या मुसलमान हैं, तो हिन्दुओंको देखते ही, मच्छरोंपर ढी० ढी० के फूवारेकी तरह, झुनपर क्रत्तल, आग और दूसरे ऐसे-ऐसे जुल्म ढानेको तैयार हो जाते हैं, जनका बयान नहीं किया जा सकता; और अपनी अिस तैयारीको ठीक सावित करनेके लिये पुराण और कुरानका सहारा खोजते हैं? नोआखालीके देहातमें रहनेवाले बेचारे अध-भूखे किसान और नामश्वर, या बिहारके गाँवोंमें रहनेवाले मुसलमान किसान या मजदूर, या कोलाबा जिलेके मच्छरे और झुनके बालबचे क्या जानें कि अखण्ड हिन्दुस्तान या पाकिस्तान क्या बला है, और अिनका झुनके अपने जीने-मरनेके साथ क्या ताल्खुक है? अिनके लिये बेचारे अिन लोगोंको क्यों मारा, काटा और सताया जाय? अपने किसी कामके सिलसिलेमें सड़कसे जानेवाले हिन्दू या मुसलमानने किसीका क्या बिगाढ़ा है कि छुक-छिप कर उसे छुरी भोक देनेकी काली करतूतके लिये आपके दिलमें हमदर्दी पैदा हो सकती है?

सच है कि अिनसानके दिलमें लड़ाईकी ध्यास अभी तक बुझी नहीं है! यही बजह है कि कहीं-न-कहीं छोटी-बड़ी लड़ाजियाँ पैदा हो ही जाती हैं। मुझीभर लोगोंकी शैतानियतभरी महत्वाकांक्षा अिन लड़ाजियोंको झुकासाती और लाखों बेगुबाह लोगोंको झुनमें फँसाती है। वह अरबों रुपयोंकी दौलत बरबाद करवाती और कभी अरब लोगोंको हैरान-परेशान करती है। ये लोग भोजेभाले लोगोंको अपने जालमें फँसानेके लिये तरह-तरहकी तरकीबोंसे काम लेते हैं। धर्म या मजहबकी हिकाजतकी पुकार ऐसी ही ओके तरकीब है। अिसके नामपर वे अिनसानोंको अिनते अविचारी और जुनूनी बना देते हैं कि झुनके सामने शेर, चीता, भेदिया, और पागल हाथी कोअी चीज़ नहीं रह जाते। अगर लोगोंसे यह कहा जाय कि तुम हैवान हो, अिसलिये हैवानियतभरे काम करो, तो बहुत थोड़े लोग झुसके लिये तैयार होंगे। लेकिन झुन्हें तो यह समझाया जाता है कि यह हैवानियत धर्म है, भगवान्नने और शास्त्रोंने अिसे फ़रमाया है, यह महान् यज्ञ है, भगवान्की कृपा पानेका यह ओके तरीका है, तुम जिन्हें मारते हो या अिनपर जबरदस्ती करते हो, झुनका भी अिसमें भला है, या यह कि अगर तुम झुनकी मुखालिफ़त न करोगे, तो तुम्हारे धर्म और तुम्हारी तहजीबका नाम-निशान न रहेगा। शराब और ताईसे भी बदतर, मजहबकी यह शराब, लोगोंको अिस तरह पिलायी जाती है।

अिन दंगों और पाइडव-कौरवकी लड़ाईके बीच कोअी मुकाबला हो दी नहीं सकता। वह लड़ाई दो राज-परिवारोंके बीच हकदावेकी लड़ाई थी। और लड़ाभीका औलान करनेके लिये झुस जमानेमें जो रिवाज रायज था, झुसके मुताबिक सारी कार्तियाँ करनेके बाद दोनों दलोंने अपनी-अपनी क्रौज़े खुले मैदानमें अिकट्ठा की, और दोनों वहाँ खुलकर लड़े। झुस जमानेके युद्ध-सम्बन्धी नियमोंका बहुत-कुछ पालन करके ही वह लड़ाई लड़ी गयी थी। झुसमें सैनिकों या फौजियों के सिवा और किसीको छुआ तक नहीं गया था। फौजियों पर हमला करनेके नियम बने हुये थे। जब दो दलोंमेंसे किसी ओकने भी झुन नियमोंको तोड़ा, तो झुसके अपने दलकी तरफसे भी झुसकी बुरायी ही की गयी। अिस तरह वह लड़ाई तो थी, मगर चूकि झुसमें लड़ाईके कुछ नीति-नियमोंका पालन करना जारी रहा, अिसलिये उसे धर्म-युद्ध या धर्मकी लड़ाई कहनेका रिवाज था।

आजकलके दंगोंमें ऐसी कोअी बात नहीं होती। अिनमें तो ओके जातकी बड़ीसी भीइ दूसरी जातके कुछ लोगोंपर या अिकके-दुक्कके आद्यापर अचानक हमला करती है, और बिल्कुल बेशुनाहोंको भी मौतके घाट झुतार देती है। न हमला करनेवालोंमें कोअी बहादुर लड़वैया होता है, और न हमले के शिकार लोगोंमें कोअी मुजरिम-गुनहगार ही। जो लोग परदेकी आवर्म रहकर अिन दंगोंको चलाते हैं, अिनका सूत्र-संचालन करते हैं, वे कोअी सिपहसालार या सेनापति नहीं होते, बल्कि अपने-आपको बचाकर और छिपाकर पैसेके बल काम करनेवाले हैं। अगर अिन दंगोंकी तरह यह अपने-आपको बचाकर और छिपाकर पैसेके बल काम करनेके लिये लोगोंको मरवाते हैं। उन्हें धर्मसे कोअी मतलब नहीं। और जिन्हें वे अुकसाते या खेन करनेको ललचाते हैं, वे तो जानते तक नहीं कि धर्म या अर्थमें किस चिह्नियाका नाम है। अगर अिन दंगोंकी तुलना पुराने जमानेकी किसी घटनासे करनी ही हो, तो महाभास्तकी लड़ाईके खत्म होनेपर अश्वत्थामा और कृपाचार्यने रात पाण्डवोंकी छावनीमें जाकर जिस तरीकेसे झुसमें आग लगायी और जिस कमीने ढंगसे सैनिकोंकी हत्या की, झुसके साथ की जा सकती है। द्वारकाकी यादवीजो भी अिस सौक्रै पर कुछ-कुछ याद किया जा सकता है।

लेखकने दूसरी मिसाल श्रीकृष्णके प्रतिज्ञा तोहकर सुरदर्शन संभालनेकी थी है। लेखक पूछते हैं कि जब श्रीकृष्णने जैसा किया था, तो गांधीजी भी वैसा ही क्यों नहीं करते? और चूकि गांधीजी सुरदर्शन चलाना नहीं जानते, अिसलिये वे दूसरोंको झुसे चलानेकी अिजाजत दें। अिसका जवाब सामनेसे दूसरा सवाल पूछकर दिया जा सकता है। गांधीजीने बचपनमें अपने पितासे छिपाकर चोरी की थी और बीड़ियाँ पी थी। अगर आपका लड़का आपसे पूछे कि महात्मा गांधी जैसोंने भी अैसा किया था, तो मेरे वैसा करनेमें आपको क्या अेतराज हो सकता है? अुलटे, मैं कोअी महात्मा बननेवाला नहीं; चुनाँचे मेरे लिये तो अिसमें कोअी बुरायी ही न समझी जानी चाहिये। तो क्या यह जवाब काम देगा? अगर श्रीकृष्णके प्रतिज्ञा तोहनेकी बात सच हो, तो वह झुनकी खामी ही मानी जायगी। और चूकि बात कुछ ऐसी ही हो रही थी, अिसी-लिये भीमने झुन्हें शरमिन्दा किया और अर्जुनने रोका था। याद रहे कि बड़े लोगोंके अच्छे कामोंकी ही नकल की जा सकती है; झुनकी कमज़ोरियों या झामियोंकी नहीं।

जितनी जल्दी हम अिस साम्प्रदायिक विषरूपी महामारीसे बच निकलेंगे, झुनना ही हमारे देशका भला होगा। प्लेग, टायिफ़ोडिड, हैंजा, चेक वैरा महामारियोंसे भी यह झायादा डरावनी चीज़ है। जब कोअी बीमारी या महामारी शुरू होती है, तो हम यह नहीं सोचते कि चूकि बंगालमें हैंजा शुरू हो गया है, अिसलिये झुसका बदला उनेके खायालसे हम झुसे बिहारमें भी शुरू कर कर दें। बल्कि हम तो यही सोचते हैं कि किन तरीकोंसे वह दूसरी जगह फैलनेसे रुकेगा। भक्तेचंगे आदमीको झुसकी छूतसे बचानेके लिये हम तरह-तरहके अिजेक्शन्सोंका प्रता लगाते हैं, झुबाला हुथा पानी पीते हैं, झन्हुनाशक चीज़े छिपकते हैं, और रोगके शिकार बने आदमीको दूसरोंसे अलग रखते हैं।

क्या फ़िरकेवाराना दुर्मनीके जहरका कोअी वैसा विलाज हो सकता है कि अगर वह बंगालमें फैला है, तो झुसे बिहार, यू. पी०, श्रम्भायी वैरा स्थानोंमें फैलाया जाय और माना जाय कि अिस तरह मुक्त कन्दुरस्त हो जायगा? जब अिनसान भक्तेझुरेकी तमीज़का खायाल छोड़ देता है, तभी झुसे यह झुलटी नीम हकीमी सूझती है।

वापी, ३-१२-'४६

(गुजरातीसे)

किशोरलाल घ० मशरूषाला

हरिजनसेवक

१५ दिसम्बर

१९४६

धर्ममें राजसत्ता

जब-जब किसी धर्मके श्रुत्साही आचार्यके दिलमें राजकाजी हुक्मत हासिल करके भुसकी मददसे अपने सम्प्रदायका प्रचार करनेका लोभ पैदा हुआ है, तब-तब भुसके पीछे खून-खराबी और अमानुषी अत्याचार भी आये हैं। पुराने जमानेमें जब राज्यकी सारी हुक्मत राजाके ही हाथमें रहती थी, तब आसान तरीका यह था कि राजाको अपना चेला बनाकर भुसकी मारफत भुस धर्मको राज्यका धर्म घोषित कर दिया जाय। जिसके साथ अक्सर जो भुस धर्मको मान लेते, भुन्हें कुछ फ़ायदे मिलते, और जो भुस माननेसे जिनकार करते, भुन्हें कुछ सज्जायें भी जातीं। सज्जाओंमें किसी खास करसे लेकर, जिनकार करनेवालोंका बायकाट करना, भुन्हें कैद करना, भुनके हाथ-पैर बौरा काटना, भुन्हें सत्ता-सत्ताकर मारना, भुनकी जमीन-जायदाद जब्त करना, भुन्हें देशनिकाला देना, औरतों और कमज़ोरोंको जबरदस्ती अपने मज़बूतमें शामिल कर लेना, और पिशाचवृत्तिके दूसरे जो तरीके खोजे जा सकें, भुन तरीकोंको आजमाना, बौरा बातें शामिल थीं। आग और तलवारकी ताकतसे दूसरे देशोंमें भी अपने पंथका प्रचार करनेकी कोशिश की जाती थी।

बुद्धचरित्रमें देवदत्तका किस्सा मशहूर है। असलमें वह बुद्धका चेला था। लेकिन किसी वजहसे बुद्धके साथ भुसका जगवा हो गया, और भुसने अपना अलग पन्थ चलाने और बुद्धके पन्थको मिटाने का क्रैसला किया। जिसके लिये भुसे मगधके राजपुत्र अजातशत्रुको अपने हाथमें लेनेकी बात सूझी। भुसने अजातशत्रु पर अपना असर डालकर आखिर भुसने अजातशत्रुको जिस बातके लिये भुमाजा कि वह पिताको कैद करके खुद गायी पर बैठ जाय। जब यह काम हो गया, तो नये राजाकी मददसे भुसने बुद्धको और भुसके चेलोंको सताना छुरु किया, और खुद बुद्धकी जान लेनेके लिये कभी साचिही की।

प्रहादकी कहानी भी धर्मके लिये भी गड़ी ऐसी तकलीफोंका एक लम्बा बयान है। पुराणोंमें कवियोंने भुसे जिस तरह पेश किया है, मानो सब जुल्म एक ही आदमी पर किये गये हैं। असलमें वह एक सम्प्रदायके राजा द्वारा दूसरे सम्प्रदायको माननेवाले लोगों पर किये गये जो जुल्मोंका बयान है। भुसमें यह दिखाया गया है कि धर्म-मतको न बदलनेके अपराधके लिये धर्मान्ध राजा कैसे कैसे जुल्म कर सकता है।

समूची दुनियाके किसी भी खास या बड़े सम्प्रदायके जितिहासको देखनेसे भुसमें जिसी तरहके जुल्मोंकी कहानी मिलेगी। जिस किसी सम्प्रदायने साम्प्रदायिक जोशके साथ हुक्मत सँभाली है, भुसके हाथों अक्सर दूसरे सम्प्रदायके लोगोंने जुल्म सहे हैं, और फिर अपने हाथमें हुक्मत आने पर बुलटकर वैसे ही जुल्म दूसरों पर किये हैं। जिस तरह इमारे देशमें वैदिकों, बौद्धों, जैनों, लिंगायतों, शैवों, वैष्णवों, सिक्खों और भुनके श्रुत-पन्थोंने अपने-अपने जमानेमें किसी वक्त जुल्म सहे हैं, तो दूसरे किसी वक्त (कभी हुक्मत भुनके हाथमें रही ही तो) दूसरों पर जुल्म ढाये भी हैं।

यूरोपमें और पश्चिमी अंशियोंमें भी ऐसा ही हुआ है। असाधियोंके धर्मयुद्ध, मुसलमानोंके जिहाद, भुलके जमानेमें यहूदियों

और रोमनों द्वारा असाधियों पर किये गये जुल्म, बादमें असाधियोंके हाथों यहूदियों पर हुआे जुल्म, और जिस असाधी पन्थके हाथमें हुक्मतकी पूरी बागडोर हो, भुसके हाथों दूसरे असाधी पन्थों या फिरकों पर हुआे हैवानियतभरे जुल्म, क्राइब-क्राइब असाधी धर्मके पैदा होनेके जमानेसे हमारे जमाने तक होते रहे हैं। हजारों लोग जिन साम्प्रदायिक अत्याचारोंसे घबराकर झिलैण्ड, हैलैण्ड और अमेरिका बौरा मुल्कोंमें जाकर बस गये हैं। रूसमें असाधी धर्मको दबा देनेके लिये बोल्शेविक सरकारकी तरफसे जिसी तरहके जुल्म जिसी सदीमें हुआे हैं। यूरोपका सारा जितिहास ऐसी बातेसे भरा पड़ा है। धर्मके नाम पर पैदा हुई यह पैशाचिकता ऐसी है कि जिसका बयान पढ़ते-पढ़ते खून खुशक हो जाता है। चीन और जापानकी तावारीखेमें भी ऐसी बातें पाई जाती हैं।

जब किसी राज्य या हुक्मत ने सभी धार्मिक मतों और पन्थोंसे परे रहकर राजकाजी मामलोंमें जिस बातका ख्याल नहीं किया है कि भुसकी रिआया किस मत, पन्थ या फिरकेको माननेवाली है, और जब भुसने सभी सरकारी हाकिमोंके लिये मजहबी मामलोंमें बिलकुल निष्पक्ष रहनेका फ़रमान जारी किया है, तभी रैयतको अपना लिल-पसन्द धर्म या मजहब भाननेकी आजाई मिली है, और जनता भी अलग-अलग पन्थों या फिरकोंके प्रति सहिष्णु बनना सीखी है।

तरह-तरहकी यातनायें सहकर और कठोर अनुभवोंमेंसे उज्जरकर हिन्दुस्तानके धार्मिक पन्थोंने आम तौर पर दूसरोंके मतको सह लेनेका गुण सीखा है। शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, अकेश्वर पूजा, विविध देवपूजा, भूतपूजा और निरी नास्तिकता तक ऐक-दूसरेके विरोधी-से मालूम होनेवाले कभी पन्थोंके रहते भी, अगर जिन सबको हिन्दू-धर्मका नाम देना मुनासिब है, तो वह जिसी वजहसे कि जिन सबमें जो ऐक सामान्य गुण पाया जाता है, वह है जिनकी धार्मिक सहिष्णुता।

जिस गुणकी तहमें रही हुई सचाई भारतवर्षके अधिकुके भी जन्मसे पहले पहली बार सूझ चुकी थी। अलबत्ता, आम लोगोंके दिलोंमें जब जमानेके लिये भुसे कुछ सदियाँ ज्यादा लगी थीं। फिर भी ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानोंके जिस देशमें पहली बार आनेसे पहले यह गुण यहाँ ठीक-ठीक थिर हो चुका होगा। सप्राद अशोकने जिस सचाईको अच्छी तरह पहचाना था। वह खुद बौद्ध था, बौद्धधर्ममें गहरी श्रद्धा रखता था, और वहे भुत्साहके साथ भुसे सारी दुनियामें फैलाना चाहता था। पं० जवाहरलाल नेहरू अपनी 'डिस्कवरी ऑफ जिनिया'में लिखते हैं—

"भुसे दूत और वकील सीरिया, अजिष्ट, मैसीडोनिया, सीरीन, और अपिरस तक पहुँचे थे, और भुन्हें वहाँ भुसकी शुभेच्छा और बुद्धका सन्देश पहुँचाया था। वे लोग मध्य अशिया, बरमा और स्याममें भी गये थे। लंकामें तो भुसने अपने पुनर्मोहन और युत्री संघमित्रोंको ही भेजा था। इर जगह तुद्धि और हृदयसे ही अपील की गयी थी; कहीं धर्मकी या जबरदस्ती न थी। खुद श्रद्धालू बौद्ध होते भी दूसरे मत, पन्थ या फिरकोंके लिये भुसके दिलोंमें जिज्ञास और क्रद थी। अपने ऐक शिलालेखमें भुसने बैलान किया है कि 'सभी पन्थ किसी न किसी कारणसे आदरके योग्य हैं'। जिसी तरह मनुष्य अपने पन्थको अपूर भुठाता है, और साथ ही दूसरे पन्थवालोंकी भी सेवा करता है।"

हिन्दुस्तान पर हमला करनेवाले शुरूके मुसलमान, तजरबेकारके बजाय जुनूनी ज्यादा थे, जिसलिये वे हुक्मतकी मददसे धर्मका प्रचार करनेके तरीकेसे ही चिपटे रहे। लेकिन जैसे-जैसे वे थिर होते गये, वैसे-वैसे भुनकी समझ पक्की होती गयी, भुनकी दानाजी बढ़ती गयी। लेकिन राज्यको और राज्यके सेवकोंको धर्म-सम्प्रदायसे परे रखनेका सबक अभी भुनके दिलोंमें पक्का भी नहीं हो पाया था कि जितनेमें भुनकी हुक्मत ही खत्म हो गयी। जिसकी वजहसे हुक्मतके जरिये अपने धर्मको पोसनेके लालचका बीज भुनमें बना रहा, चुनाँचे हुक्मतवाला ऐक मुस्लिम राज्य कायम करनेकी महत्वाकांक्षाहो

मुस्लिम लीगी नेताओंके दिलों पर कब्जा कर लिया है। और जिस तरह ऐक बार किरको-परस्त हुक्मतका जहर हिन्दुस्तानकी जनतामें फैला है। बंगालमें मुस्लिम लीगके हाथमें थोड़ी हुक्मत आयी है। वह अभी पूरी तरह मज़बूत या पक्की भी नहीं हो पायी है, ताहँ तो हमें जिस बातका ऐक पदार्थपाठ मिल गया कि साम्प्रदायिक हुक्मत अपनी रैयत पर कैसा और कितना कहर बरपा कर सकती है।

हिन्दू भी यह कहकर बच नहीं सकते कि बिहारमें या दूसरे सूबोंमें खुनकी तरफसे जो इवानियतभरे जुल्म हुओ, वे शुरूमें मुसलमानोंके हाथों हुयी ज्यादातियोंका जवाबभर माने जायें। साम्प्रदायिक हुक्मतके अनर्थोंका झुन्हें बहुत तजरबा है। जवाबमें वैसी ही दूसरी साम्प्रदायिक हुक्मत क्रायम करके हम जिन अनर्थोंको मिटा नहीं सकते। अखण्ड या खण्डित हिन्दुस्तान,—यानी हिन्दूधर्म और हिन्दू-संस्कृतिके पोषणका बीड़ा खुठानेवाली हुक्मत—पाकिस्तान—यानी मुस्लिम धर्म और संस्कृतिको अपनानेवाली हुक्मत—की महत्वाकांक्षाका कोअभी खुचित या मुनासिब जवाब नहीं। जिन दोनों धर्मोंको, और जिसी तरह सिक्ख, खिस्ती और जरथोस्ती व दूसरे सब धर्मोंको भी दूधमें शकरकी तरह ऐक-दूसरेके साथ छुलमिलकर ऐक सामान्य राष्ट्रीय—बल्कि मानव—संस्कृति पैदा करनी चाहिये—यही जिसका जिलाज है। ऐक-दूसरेए अलग होने या ऐकके दूसरेको निकाल भगाने या मिटा डालनेका खयाल रालत और दुष्टार्पण है।

वापी, २७-११-४६

(अंग्रेजीसे)

किशोरलाल घ० मशारूखवाला

खादीका सन्देश

यह है खादीका सन्देश।

खेती, खादी, ग्रामोद्योग और गेषालनके मामलोंमें हमारे घर और गाँव स्वावलम्बी बन जायें, और हम जिनमें ज़रूरतसे ज्यादा परस्परावलम्बन दाखिल न करें, और ज़रूरी परस्परावलम्बन और सहयोग न टालें, तो कुदरती तौर पर अँसा समाज स्वावलम्बी, स्वयंपूर्ण और स्वतंत्र बने बिना न रहे। चूंकि ऐसे समाजमें आपसी होदाहोड़ी कम-से-कम होगी, जिसलिए युसमें आपसका समझाव ज्यादा-से-ज्यादा रहेगा और बढ़ेगा। औसे समाजको ही हम अहिंसक समाज कहते हैं।

मनुष्य-जातिके ठीक बचपनके दिनोंमें शायद औसे समाजकी स्थापना नहीं हो सकती। लेकिन अपर्ण। तन्दुरुस्त जवानीके दिनोंमें तो मनुष्योंके समाजको कुदरती तौर पर अहिंसक बनना ही चाहिये। अगर ज्ञान, विज्ञान और कला-कौशलके विकासके साथ समाज जाग्रत और तेजस्वी बना रहे, तो ऊसे सहज ही यह सूझ जाय कि अहिंसा ही मनुष्यके जीवनका धर्म है। लेकिन जब तक यह ज्ञान भोला है, तब तक यह सुरक्षित या सलामत नहीं। जीवनका कहुआ-भीठा अनुभव मिलनेके बाद ही मनुष्यको भले-बुरेका साफ़-साफ़ खयाल होता है। और, जिस खयालके बाद ऊसके मनमें जो अहिंसा होगी, वही लम्बे वक्त तक क्रायम रहेगी। अगर पिछले पाँच-दस हजार बरसके अनुभवके बाद ही मनुष्य-जाति अहिंसाकी ओर न चढ़ी, तो जिसमें शक नहीं कि वह मिटकर ही रहेगी।

अहिंसा कोअभी औसी वृत्ति या जहनियत नहीं, जो कोरे धर्मों-पद्धतियोंसे अपने-आप मनमें बस जाय। अहिंसाकी स्थापनाके लिए तो मनुष्यको ऐक खास तरहका तन्दुरुस्त जीवन बितानेकी कला सीखनी चाहिये, ऐक खास तरहकी समाज-न्यवस्था क्रायम रखनी चाहिये, और जिसके लिए मनुष्यको ऐक खास तरहकी जीवन-दृष्टि अपनानी चाहिये।

दुनियामें आज जिस तरहकी सरकारें क्रायम हैं, वे सरकारें अहिंसक समाजमें शामिल नहीं हो सकती। जिन सब सरकारोंका जीवन-दर्शन नास्तिकतापूर्ण होता है। जिनका आखिरी विश्वास

मनुष्यकी बूँची वृत्तियोंपर नहीं रहता, बल्कि सजा, जबरदस्ती, अनिमाम, और जिज्जातके जरिये प्रकट होनेवाली ढर, लालच और अहंकार या खुदीकी तीन हल्की वृत्तियों पर रहता है। जिनसानके लिए यह ऐक निहायत शर्मकी बात है कि युसे औसी सरकारोंको मंजूर करना पड़ता है। लेकिन जिनसान करे क्या? ऐक बार बनावटी जिन्दगी, बनावटी आदर्श और बनावटी जहनियत पैदा करने और समाजी जिन्दगीको बीमार बनानेके बाद जिनसान नकली सरकारें क्रायम करके युन्हें चलाये नहीं, तो और क्या करे? कहाँ जाय?

खुजलीके बीमारको अपना बदन खुजलानेमें बहुत सुख मिलता है। लेकिन जिसीलिए कोअभी यह न कहेग कि खुजली बीमारी नहीं, बल्कि जीवनकी ऐक सिद्धि है। जिसी तरह चूंकि आजकलकी संस्कृति या तहज्जीबके जरिये जिनसानकी कुछ हवसे पूरी होती हैं, महज जिसलिए यह साबित नहीं होता कि यह संस्कृति रोगी संस्कृति नहीं।

जो आदमी वासनाओं या हवसोंसे घिरा हुआ है, वह सिर्फ ठोस दलीलोंसे भी कोअभी चीज़ मंजूर नहीं करता। ऐडवर्ड कारपेण्टर-जैसोन जिस मज़मूर पर ऐक बढ़िया किताब लिखी कि आजकलकी संस्कृति या तहज्जीबका मर्ज़ किस तरह पैदा होता है, और युसे मिटानेके तरीके या जिलाज क्या हैं। लेकिन युसे पढ़कर समाज अपनी जिन्दगीका रवैया बदलनेको तैयार न हुआ। ऐकके बाद ऐक जो दो विश्वव्यापी लड़ाजिलाँ हुईं, युनकी बजहसे मनुष्य-जाति अपनी बरबादीके किनारे आ पहुँची है। औसे समय, जिस युग्मीदसे, कि जिस हिन्दुस्तानकी नसोंमें आत्मपरायण संस्कृतिकी विरासत सोअभी हुयी हालतमें मौजूद है, वह हिन्दुस्तान खुद बरबादीसे बचकर सारी दुनियाको बरबाद होनेसे बचा सकेगा, हम अपने जीवनको स्वावलम्बी, स्वाश्रयी और स्वयंपूर्ण बनानेकी कोशिशमें लगे हैं।

जब हम अपने जीवनको बिलकुल साफ़-पाक बना लेंगे, तभी हम मनुष्यकी प्रतिष्ठाको शोभा देने-जैसी संस्कारी और सच्चे मानों में सुधरी हुयी हुक्मत क्रायम कर सकेंगे।

अगर हम अपने जीवनको बिलकुल साफ़-पाक बना लेंगे, तभी आपसी मार-काटके जरिये ही करते रहेंगे, तो जिस तरहकी सरकार चलानेके लिए हमें युसकी क्रीमत भी चुकानी पड़ेगी, और वह क्रीमत तभी चुकाएंगी जा सकेंगी, जब हम हिंसाप्रधान, भोगैश्वर्य-परायण और द्वोहमूलक समाजको यानी औसे समाजको जगह देंगे, जो मार-काट, औश-व-जिशरत और लट-खोसोट पर जीना चाहता हो।

आजिन्दा जमानेके समूचे समाज-शास्त्रका मूलमंत्र यह है — जिन्दगी विताना स्वावलम्बनसे, और युसे टिकाये रखना सत्याग्रहके बलसे।

सत्याग्रहमें सिर्फ अन्याय करनेवाले आदमीका और युसके अन्यायका नहीं, बल्कि अन्यायी आदमीकी अन्यायपूर्ण वृत्तिका ही विरोध मुख्य है। जिस तरह हरअेक सत्याग्रहके साथ समाजकी हल्की या हीन वृत्तियाँ कम होती जाती हैं, और राज्य-न्यवस्थाका लोप होता जाता है। यानी राज्य-न्यवस्थामेंसे न्यवस्थावाला हिस्सा क्रायम रहता है, और राज्यवाला हिस्सा यायब हो जाता है। अगर मनुष्य-समाजने जितनी तरक्की न की, तो वह टिक न सकेगा। दुनियामें विज्ञान या सायन्सका जितना फैलाव हुआ, माल लानेले जानेकी जितनी सङ्कूलियतें पैदा हुईं, सारी दुनिया पर आर्थिक व्यवस्थाका जाल फैल गया, फिर भी आज दुनियाके क़रीब-क़रीब सभी देश नाज और कपड़ेके लिए मुहताज बने हैं। जिस तहज्जीबकी बजहसे यह अटपटी हालत पैदा हुयी है, युसे सुधारना ही होगा। यह सुधार स्वावलम्बन, स्वयंपूर्णता और सत्याग्रहके जरिये ही हो है, और खादी जिन सबकी निशानी है।

जब हम जिसे समझकर खादीको अपनायेंगे, तभी हमें यानी हमेंसे हरअेक मनुष्यको, जीवनकी शान्ति प्राप्त होगी।

(गुजरातीसे)

काका कालेलकर

खादी-कामका विकेन्द्रीकरण

आगाखान महलसे बाहर आनेके बाद फौरन ही जब गांधीजीने चरखा-संघके सामने खादी-काममें कान्तिकारी फेरफार करनेवाली योजना (स्कीम) पेश की — जो 'चरखा-संघके नवसंस्करण' के नामसे पहचानी जाती है — तबसे खादी-कामके विकेन्द्रीकरणकी बात भी खादी कार्यकर्ताओंमें चल रही है। लेकिन जुदा-जुदा कार्यकर्ता अुसका जुदा-जुदा मतलब करते पाये जाते हैं। अपने औपर चरखा-संघका नियंत्रण न रहे, और खादी पहननेवालोंसे ही सूत कतवाया जा सके, अमुक कीमतकी सूतकी गुणी लेकर ही खादी बेची जा सके, वैरा चरखा-संघके नियमोंसे छुटकारा पानेके लिये भी कभी लोग विकेन्द्रीकरणका यानी चरखा-संघसे स्वतंत्र होनेका विचार करते हैं। लेकिन ऐसे यह समझ लेना चाहिये कि आज जिस ढंगसे खादी-काम चल रहा है, अुससे पीछे हटनेके लिये नहीं, बरन् अुसे आगे बढ़नेके लिये ही विकेन्द्रीकरणकी बात पेश की गयी है। विकेन्द्रीकरणकी योजनाका न यह हेतु है, न हो सकता है, कि जो लोग एक असेसे खादी पहनते रहे हैं, मगर खुद कातनेको तैयार नहीं हैं, अुनके लिये आसानीसे खादी मुहैया करनेका तरीका ढूँढ़ा जाय।

विधान या आईन बनानेवाली सभामें स्वराजका विधान बने, और वह अमलमें लाया जाय, तो अुससे हमें राजकाजी आजादी मिलेगी। अंग्रेजी राजके जुओंसे हम छूटेंगे, लेकिन हमें तो जिस स्वराज और जिस आजादीसे ज्यादा व्यापक स्वराज और ज्यादा सच्ची आजादीकी रचना करनी है। विकेन्द्रीकरणकी बात खादीके जरिये ऐसे स्वराजकी रचना करनेके लिये की जाती है, जिसमें राजकाजी जुल्म ही नहीं, बल्कि अुनसे आगे बढ़कर माली या समाजी अन्याय या जुल्म भी न हों, जिसमें कोउी किसीको लूट-खोसोट न सके, जिसमें बूँच-नीचका भेदभाव न हो, जिसमें किसी भी शास्त्रको कंगालियत, बेकारी या लाचारी महसूस न करनी पड़े, जिसमें हरअेक शास्त्र अपनी हिकाजत आप करनेकी हिम्मत सीख सके, और जिसमें हरअेक शास्त्र द्वारे मुल्की तहजीब या संस्कृतिकी विरासतसे फ्रायदा अुठाने लायक ताकत हासिल कर सके।

चैक्के हमारे देश गाँवोंमें बसा है, जिसलिये ऐसे व्यापक स्वराजकी यिमारत अुन स्वराज भोगनेवाले गाँवोंकी नींव पर ही खड़ी हो सकी, जो आर्थिक या माली इष्टिसे स्वावलम्बी, अपनी प्रारम्भिक जरूरतोंके बारेमें स्वयंपूर्ण और द्वेषात्मक जिन्दगीके लिये जरूरी दूसरे सभी मामलोंमें स्व-शासित होंगे। खादी ऐसे ग्राम-स्वराजका प्रतीक या निशानी है, या ऐसे ग्राम-स्वराजकी रचनाकी शुरुआत है।

अगर जिस तरह खादीका विचार किया जाय, तो हरअेक गाँवको कपड़ेकी अपनी जरूरतके बारेमें स्वावलम्बी बनाना, खादी-कामका सच्चा विकेन्द्रीकरण कहा जायगा। गाँवमें कपास अुगानेसे लेकर सूत कातने तकके सारे काम कीरी-कीरी द्वारा द्वारा हरअेक घरमें किये जायें (हमारे मुल्कके कुछ हिस्से ऐसे हैं — हालांकि वे बहुत थोड़े और छोटे हैं — जहाँ कपास पैदा नहीं होती; ऐसे हिस्सोंका सवाल निराला है), गाँवके जुलाईोंसे ही वह सूत दुनवा लिया जाय, और अगर गाँवमें जुलाई न हों, तो गाँवके कुछ नौजवान भाऊ-बहन बुनाअीका काम सीख लें, और जिस तरह पूरा गाँव वस्त्र-स्वावलम्बी बन जाय। ग्राम-सेवकों और खादीकार्यकर्ताओंको जिस इष्टिसे काम करना चाहिये। जिस तरह एक गाँव लेकर या कुछ गाँवोंके एक समूहको जिकाअी मानकर काम शुरू किया जा सकता है। वैचनेके लिये खादी तैयार करनेमें पूँजी लगानेकी जो जरूरत पड़ती है, वह जिस ढंगसे काम शुरू करनेमें नहीं थोड़ी। फिर भी काम शुरू करनेके लिये जो थोड़े-बहुत ऐसोंकी जरूरत होगी, वे गाँवमें ही प्राप्त कर लेने चाहिये। जिन ऐसोंके जिस्तेमालके लिये और लोगोंको खादीकी सब कियायें सिखनेका अन्तजाम करनेके लिये मुकामी कार्यकर्ता अपना एक मण्डल बना लें। साथ ही

गाँवके मदरसेकी मारकत भी खादी-कामकी शुरुआत हो सकती है। ऐसे मंडलोंको अपने-अपने हल्कोंमें रहनेवाले परिवारोंको वस्त्र-स्वावलम्बी बनानेका मक्कसद सामने रखकर काम करना चाहिये। जो परिवार अपनी जरूरतसे ज्यादा सूत कातता हो, अुसके सूतका कपड़ा, अपनी जरूरतके मुताबिक न कात सकनेवाले परिवारको दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बने अपने तय किये हुओ हल्केसे बाहर खादी मेजनेका विचार नहीं रखना चाहिये। ऐसी तरह बाहरसे मिलका कपड़ा हारिग्ज न लाना चाहिये, और खादी भी जहाँ तक बने बाहरसे नहीं लानी चाहिये। चरखा, करघा बैरा जिन चीजोंकी जरूरत हो, वे भी गाँवकी गाँवहीमें बना ली जायें, तो सबसे अच्छा। एक तय किये हुओ हल्कोंमें — फिर वह गाँव हो, ताल्लुका हो, जिला हो, या सूबा हो, अगरचे जिलेसे ज्यादा बड़ा हल्का ऐसे कामके लिये कम अनुकूल होगा — काम करनेके लिये बना हुआ मण्डल औपर बताये मुताबिक काम करना शुरू करे, तो वही सच्चा विकेन्द्रीकरण होगा। काम करनेके लिये जरूरी पैसोंके बासे चरखा-संघके सदर-दफ्तरकी तरफ ताकनेके बजाय, अपनी ताकत और अपने वसीझेसे ही गाँववालोंकी मददसे पैसे जिकटे कर लेना, विकेन्द्रीकरणकी योजनाका एक अहम हिस्सा है। ऐसा करनेसे काम करनेवालोंका आत्मविश्वास बढ़ता है, और लोग भी समझने लगते हैं कि यह हमारा ही काम है।

जिसका यह मतलब नहीं कि चरखा-संघ किसी तरहकी मदद न करे। अब तक के खादी-कामके अपने अनुभवकी बिना पर चरखा-संघकी तरफसे निष्ठातों या माहिरोंकी सलाह तो मिलती ही रहे। जिसके बिवा शुल्में बढ़ावा देनेके लिये, किये हुओ काम पर, चरखा-संघकी तरफसे कुछ न-कुछ मदद भी नी जाय। मसलन, आजकल जितनी स्वावलम्बी खादी तैयार होती है, अुसपर दो आना फ्री चौरस गजके हिसाबसे चरखा-संघ मदद देता है, और कोउी संस्था या मण्डल नया बुनकर तैयार करता है, तो जिस कामके लिये अुसे चरखा-संघकी तरफसे सौ सप्तोंकी मदद मिलती है। जब तक चरखा-संघके पास फण्ड नहीं, तब तक ऐसी मदद बराबर नी जाय। साथ ही, अगर किसीको खादीकी सब क्रियाओंकी पक्की जानकारी हासिल करनी हो, तो अुसे जरूरी तालीम देनेका काम भी चरखा-संघ तरफसे ही होता रहे। मगर एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि चरखा-संघकी तरफसे मिलनेवाली सारी मददों का स्वागत करते हुओ भी, अुसकी मदद पर ही सारा दारमदार रखकर, कोउी काम शुरू न किया जाय। जब रचनात्मक काम करनेवाले छोटे-छोटे मण्डल अपना काम स्वावलम्बनके तरीके पर चलाने लगें, तभी वे सच्चे स्वराजकी नीव ढाल सकेंगे। रचनात्मक कामका मक्कसद यह है कि अुसकी मददसे लोग आजादीका अुपभोग करनेकी अपनी ताकत बढ़ायें। और, लोगोंकी ताकत तभी बढ़ेगी, जब कामका विकेन्द्रीकरण होगा, और लोग अपने काम सुद करने लगेंगे।

सावरमती, २७-११-'४६
(उजरातीसे)

नरहरि परीख

हिन्दुस्तानी प्रचार परीक्षाओं

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धाकी ओरसे ली जानेवाली हिन्दुस्तानी प्रचार परीक्षाओं ता० १६ फरवरी, १९४७ रविवारको होगी। ऐन परीक्षाओंमें शामिल होनेकी अर्जियाँ, केन्द्रोंके जरिये, वर्धाके दफ्तरमें, ता० १५ जनवरी, १९४७ तक फ्रीसेके साथ पहुँच जानी चाहिये।

केन्द्र खोलनेके नियम, परीक्षाओंके नियम, परिक्षाओंकी पुस्तकें, वैराराकी जानकारी वर्धाके दफ्तरसे मिलेगी।

अमृतलाल नाणवटी
परीक्षामंत्री,
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा

दक्षिखनी अफ्रीकाके अेक जेलकी तसवीरं

“ २३ दिन बाद मैं जेलसे छुटा । ७ दिनकी छुट मिली । २२ दिनमें खासी परीक्षा हो गयी । २० पौण्ड वजन कम हुआ । जेलकी कोअी चीज़ माफिक आने लायक न थी । सफ़ाओंको तो वहाँ तिलांजलि ही देनी पड़ी । अच्छे जूठेका भी वहाँ कोअी सवाल न था — हो ही नहीं सकता । १८ आदमियोंकी कोठरीके अेक कोनेमें खुला पाखाना था । खुशक्रिस्मतीसे पाखाना सेटिक टैकका था । फिर भी खुसमें बैपटा होकर बैठना पड़ता था । पीनेके पानीकी ओक बालटी थी, और साथमें अेक प्याला था । सब खुसीको डुबा-डुबाकर पानी लेरे, और सुँह लगाकर खुसीसे पानी पीते । शामके साढ़ेचार या पाँचसे सुबहके पाँच तक सुखे पाखानेकी हाजत न मालूम हो, और प्यास न लगे, जिसके लिये मुखे अपने खाने-पीनेके बक्तमें झर्ली फेरकर कर लेना पड़ा । जिसकी बजहसे, यह समझिये कि २२ दिन लगभग खुपवास-जैसे ही बीते । बरतन दीनके, जंग खाये हुओं और गन्दे । खुराक भी वैरी ही । उबह मक्कीके आटेकी बिलकुल उष्णी कॉंजी । दोपहरको बारह बजे फिर वही सुबह पक्काए हुए कॉंजी । शामको मक्कीके आटेमें शोबा पानी मिलाकर और खुसे जैसे-तैसे सेंककर बनाया हुआ बिलकुल सूखा चूरा; चूरेके साथ ‘काशु-पीज’ नामके अेक क्रिस्मके दाने, सो भी सूखे, और चार औंस डबल रोटी । नेटिव लोगोंको (दक्षिखनी अफ्रीकाके असली वाशिन्दोंको) १२ बजे खुबाली हुए मक्की दी जाती है । दो दिन मुखे बाहर स्फूट मज्जदूरीके लिये भैंसे जितना काम लिया जाता था, खुतना ही हमारे लोगोंसे भी । चीफ वार्डरसे शिकायत की । जिससे मुखे हलकी मज्जदूरी ही गयी । हलकी मज्जदूरीमें नीचे लिखे काम लिये जाते हैं — सब कोठरियोंसे बिछौने निकालना, कोठरियाँ धोना, बाहरका बढ़ा यार्ड धोना, नीचे छुककर पानी खुलीचना, और ९ से १२ तक तेज धूपमें बैठकर बरतन मलना । (दक्षिखनी अफ्रीकामें जिन दिनों गरमी रहती है) । दोपहरको छाँह मिलती थी, जिसलिये खुतनी तकलीफ नहीं होती थी । पहले दिन वॉर्डरोंका खासा रोब रहा । खुन्होंने मुखे धमकाया और कहा, ‘यहाँ कोअी ‘रिंग लीडर’ (अगुआ) नहीं बन सकता । सब ओकदे समझे जायेंगे, और ज़्यादा तीन-पाँचकी, तो हड्डी-हड्डी तोड़ दी जायगी । तुझे चेताये देता हूँ, मेरा दिमाग न चाटना’ । खुसने सिर्फ हाथ चलाना बाकी रक्खा था । अतिनेमें दूसरे दिन मैंने खुराककी शिकायत की और कहा कि चीफके पास ले चलो । जिसपर गालियोंकी बौछारके साथ वॉर्डर बोला — “चीफके पास जाना है? चल, चीफके पास ले जाता हूँ ।” कहकर मेरी गरदन पकड़ी और धक्का मारकर चीफके पास ले गया । मैंने चीफसे पूछा — “क्या जिन वॉर्डरोंको हमपर हाथ चलानेका हक है?!” चीफने कहा — “जिन्हें साफ तौर पर यह हिदायत दे दी गयी है कि किसी पर हाथ न चलायें ।” खुसके बाद हाथ चलाना बन्द हुआ । आठ दिन तक तो सुँह धोनेके लिये कुछ भी न दिया गया । आठ दिन बाद मुखे दूध ब्रश और दूध पाखुडर दिया गया । मैंने कहा, जब तक सबको यह सहूलियत नहीं दी जाती, तब तक मैं जिसका जिस्मेवाल नहीं कर सकता । जवाब मिला — “सबको नमक दिया जायगा ।” मैंने पूछा — “कहसे?” तो कहा — “शामसे ।” जिसके बाद पाँच दिन और बीत गये । फिर अेक दिन अचानक नमकके दर्शन हुओं । अेक आनन्दकी बात यह थी कि जेलमें हम सब मिलकर सुबह-शाम प्रार्थना करते थे ।”

जिन्हें हिन्दुस्तानके जेलखानोंका तजरबा है, खुन्हें जिस तसवीरमें कोअी नयापन नहीं मालूम होगा । लेकिन जेलके अन्तजाम और खुसके पीछे काम करनेवाले दृष्टिकोणका यह चित्र अेक ऐसे देशका है, जो अपने लिये ज़्यादा थूंकी सम्यताका दावा करता है और जिस अँदेशेसे कि कहीं असम्य हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी खुसकी सम्यताको नीचे न गिरा दें, खुन्हें अपनेसे दूर रखनेका आग्रह रखता है ।

वापी, ४-१२-'४६ (गुजरातीसे) किशोरलाल घ० मशरूवाला क्या आत्महत्याकी सलाह दी जा सकती है?

गांधीजीको लिखे गये अेक भावीके खतसे खुन्हकी खास-खास बातोंका सार खुन्हीके शब्दोंमें नीचे दिया जाता है —

“ २७ अक्टूबर, १९४६के ‘हरिजनबन्धु’में आपकी यह सम्मति प्रकट हुई है कि लियोंको खुन्हके शीलके अष्ट होनेसे पहले आत्महत्याका मार्ग अपनाना चाहिये । लेकिन मेरी नम्र किन्तु दृढ़ रायमें आपका यह खुदेश आध्यात्मिक हेतुके विरुद्ध है ।

“ हम जीवन और जीवन-कलाकी खोजमें निकले हैं । मृत्यु और मृत्यु-कलाकी खोजमें दरगिज नहीं । संस्कृतिहीन मनुष्य पशुसे भी भयंकर और बदतर है । जिस समय यह पाशवी बुद्धिका मनुष्य मृत्युकी और मृत्यु-कलाकी खोजमें लगा हो, खुसीका विचार करता हो, और वैसा ही बरताव कर रहा हो, खुस समय संस्कारी पुरुष सदुपाय, सत्प्रथल और सद्व्यवहार द्वारा खुसका प्रतीकाकर करनेके बदले खुद ही धबरा जायें और लाचार बनकर दूसरे ढंगसे वैसे ही खुपायों और प्रयत्नोंमें लग जायें, तो मनुष्यताके और सारी मनुष्य-जातिके लिये वह बहुत ही लज्जाकी बात मानी जायगी ।

“ जिसमें शक नहीं कि देहके साथ की जानेवाली जबरदस्तीके बारेमें अपनी लाचारी या कर्जके मुताबिल्क खी या पुरुषकी असहायता या निरुपायता दुःख देनेवाली चीज़ है, लेकिन जिसकी बजहसे ऐसे खी-पुरुषके साथ किये गये पाशवी, अपमानजनक, अत्याचारी और बलात्कारी बरतावके कारण, खुन्हें आत्मजीवनसे अष्ट मानने या सामाजिक जीवनसे नीचे गिरानेकी कार्रवाजी ही असलमें अमानुषी है । जो मनुष्य-जाति पशुओंसे अलग, अपने खास ढंगका जीवन बिताती है, खुसके लिये जिन दोनों प्रकारोंमें मंजूर किया गया अपवित्रताका कलंक ढुर्ल और अज्ञान मनोदशाका सूचक परिणाम है ।

“ धर्म-संकटके अवसरपर तुरत किसी सद्ख्यपाय या सहायताके अभावमें मनुष्यकी लाचारी या बैकारीको कायरता कहना, या विकारी मनोदशासे रहित जबरदस्तीके संभोगको या अनिच्छित, अपमानित और अत्याचारी प्रसंगको, असंयमी अष्टता या निर्लज्ज व्यभिचारके जैसी शीलीनता समझना, मरेको मारनेके समान दोहरी मार है ।

“ सत्य, अहिंसा और धर्मके मामलोंमें आत्महत्याकी गुंजाजिश ही नहीं । लेकिन अज्ञानता या बे-समझीमें आत्महत्याकी युंजाजिश है । कष्टों, यातनाओं, वेदनाओं, और शारीरिक तकलीफोंका अभाव वैदा करनेके लिये की गयी आत्महत्याको किसी भी हालतमें बलिदान माना या मनवाया नहीं जा सकता । ऐसी मौत तो कायरकी मौत ही कही जायगी । शारीरिक तकलीफों, यातनाओं, वेदनाओं और कष्टोंको सहते-सहते सत्य और अहिंसाके आदर्शसे जेकरूप होकर या खुसके अनुरूप बनकर मिलनेवाली मौत ही धार्मिक बलिदान-रूप मानी या मनवाजी जा सकती है ।

“ राजकाजी मामलोंमें सत्य और अहिंसा आपकी आजकलकी धारणाके अनुसार खुपुक साधन बन या रह नहीं सकते, लेकिन सामाजिक जीवनमें सद्गुणोंकी तरह रहनेवाले ये आदर्श मनुष्य-जातिके ध्येयरूप राजकाजमें लोकजीवनके राजनीतिक आदर्श बन सकते हैं ।

“मनुष्य-जातिके, मनुष्य-मनुष्यके आपसी व्यवहारके लिये स्वेच्छासे स्वीकार किये और बनाये हुये, नियमों थोर कानूनोंको मनुष्य खुद ही तोड़ता नज़र आये, और अधिसके बारेमें संस्कारी पुरुषोंकी अच्छी सिखावन विफल होती दिखायी पड़े, तो स्वेच्छासे स्वीकार की हुयी और बनायी हुयी शासन-संस्थाके जरिये न्याय और अनुशासन द्वारा खुसे सफल बनानेकी पूरी-पूरी कोशिश करना ही राजनीतिक संस्थाके सामाजिक जीवनका हेतु है। अगर ऐसा करनेके बदले राजकाजी और संस्कारी पुरुष अधिसके अधिकारी खोज निकालेंगे और खुन्हें अपनायेंगे, तो हम संस्कारी जीवनसे बहुत दूर जा पड़ेंगे। और फिर अपनी रची अधिसक भूमिकासे वापस लौटनेका अवकाश या मौका बहुत कम और बहुत दूर रह जायगा।”

गांधीजीको समझनेके लिये हमें एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये। जिन विचारों पर फौरन अमल करनेका तरीका वे सुझा नहीं सकते, सिर्फ तात्त्विक चर्चाके रूपमें खुनका प्रचार करनेकी खुन्हें आदत नहीं।

यह तो वे कह ही चुके हैं कि जिस औरत पर जबरदस्ती की जाय, खुसे भ्रष्ट या नापाक नहीं मानना चाहिये।

अनुन्होंने यह सलाह भी दी ही है कि खीको अपनी सारी ताकत खर्च करके अल्याचारीका सामना करना चाहिये। अधिसके लिये खुन्होंने अहिंसाकी मर्यादा या कैद नहीं रखी। ऐसी ताकत पैदा करनेके लिये की जानेवाली कोशिशका खुन्होंने कोअी विरोध नहीं किया है। लेकिन यह तो आगेकी बात हुयी।

जिस औरतमें अपनी हिक्काज्जत करनेकी ताकत और तालीम नहीं है, लेकिन जिसे अपनी पवित्रताकी बहुत ज्यादा फ़िकर है, और अधिसके दिलमें जुल्मकी दहशत पैदा हो गयी है, खुस औरतको आज, अभी क्या सलाह दी जाय? क्या खुसे यह कहा जाय कि अगर तुम्हारी अिच्छाके खिलाफ तुम पर जबरदस्ती की जाय, तो तुम खुससे दुखी न होना, बल्कि खुसे चुपचाप सह लेना? अधिसमें शक नहीं कि सतीत्व अच्छी चीज़ है, लेकिन खुसके लिये अपनी जान देनेकी ज़रूरत नहीं? नहीं, खुससे तो यही कहा जा सकता है कि अगर तुम मौतका डर छोड़ दोगी, तो तुम्हें खुपाय सुझेंगे। जब तक तुम्हें अपने आस-पासकी हवामें जुल्मों और ज्यादतियोंके होनेका अंदेशा मालूम हो, तब तक तुम खुदकुशीका भी कोअी-न-कोअी साधन अपने पास रखकर घूमो। अपने शीलकी रक्षा और मौतका डर, ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। अधिसलिये जिसे अपना शील या अपनी अिज्जत बचानी हो, खुसे मौतका डर पहले छोड़ना चाहिये। यह कोअी कमज़ोरीकी सीख नहीं, बल्कि कमज़ोरके लिये भी जो एक अिलाज मुमकिन है, वही सुझाया गया है। अधिसका यह मतलब नहीं कि जो औरत अपनी अिज्जतके लिये लड़ लेती है, या लड़ते-लड़ते मर जाती है, खुसकी बर्निस्वत खुदकुशी करनेवाली औरत ज्यादा अच्छी है। बल्कि अधिसमें खुस औरतकी क़दर ज़रूर की गयी है, जो अपने शीलको जानसे ज्यादा प्यारा समझती है। और यह ठीक ही है।

अिज्जतके छुट जाने पर मौ बहुतसी औरतें अपनी जान नहीं दें सकतीं। बड़े-बड़े सैनिक और नेता भी सत्त्वहानि या बेअिज्जती सहकर जीते हैं। बेअिज्जतीके पहले या बादमें खुदकुशी कर सकने-वाले खी-पुरुष विरले ही होते हैं। जो लोग जान नहीं दे सकते और सत्त्वहानि हो जानेके बाद भी जी सकते हैं, खुनके साथ भी हमें खुदारताका ही वरताव करना चाहिये। जो लोग खुनसे नक़रत करते हैं, वे अपना ओछापन दिखाते हैं। अधिसलिये ज्यादतियोंकी शिकार बनी हुयी औरतोंको भ्रष्ट न समझनेकी सलाह दी गयी है।

वापी, २१-११-'४६

(गुजरातीसे)

किशोरलाल घ० मशरूवाला

सरकारी रुख

एक भाऊं यों लिखते हैं—

“पिछले हफ्ते नउी दिल्लीमें एक अच्छे वजनदार रोजाना अखबारके जो डाइरेक्टर आपसे मिले थे, वे हिन्दुस्तानकी मौजूदा अशानितके कारणोंको समझनेके लिये नीचे लिखा मज़मून पढ़ेंगे तो ठीक होगा।

“वाधिसराय साहव सच्चे दिल्लीसे अपने गुरु अलनबीके कदमों पर चल रहे हैं। पड़नेवालोंकी सहायतके ख्यालसे मैं नीचे लिखा हिस्सा देता हूँ—

“सिवालोंको अपने मुल्की हुक्मत खुद करनेकी तालीम देनेका जो तरीका या पॉलिसी हमने अपनायी है, अगर वह सचायीके साथ अपनायी गयी है, और खुसका कोअी मतलब है, तो जरा-सी मुश्किल पैदा होते ही दस्तन्दाजी करना और हुक्मतकी बागडोर अपने हाथमें ले लेना, एक निकम्मी चीज़ है। बज़ीरों और हाकिमोंको हुक्मत चलाना सीखना हो, अमन-व-अमान कायम रखनेके लिये पुलिसको लायक बनाना हो, और ज़रूरतके बज़त मिस्त्री फ़ौजको अपनी हुक्मतके लिये मददगर सवित होना हो, तो खुन्हें अपने सामने पेश होनेवाली मुश्किलों और खतरोंका सुकाबला करना सीखना चाहिये, और बैचैन बनानेवाले या खतरनाक मौकोंपर ब्रिटिशोंके सहारेकी कोअी खुम्मीद न रखनी चाहिये।” (वेवेलके लिखे अलनबीके जीवन-चरित्रसे, पृ० ४९-५०)

“अधिस किन्नरमें ‘मिस्त्रीवालोंकी जगह ‘हिन्दुस्तानवालों’ पड़ना चाहिये, और फिर अपर लिखी राजनीतिके लिये हमें खुन्हें श्रेय देना चाहिये। अधिसके बाबजूद, हमने देखा है कि पिछले दो हफ्तोंमें दस्तन्दाजी करनेके लिये हाकिमोंसे कैसी दयाजनक अपीलें की गयी थीं। यह चीज़ आपकी ‘श्योरी’को सवित करती है। लेकिन पूरी तस्वीर पेश करनी हो, और तमाम दलीलोंको हमेशा के लिये चुप करना हो, तो नीचेका फ़िक्ररा पड़नेसे कायदा होगा।

“२० मार्च, १९२१को (जब कुछ दंगे हो चुके थे) अपनी माँके नाम लिखे खतमें अलनबीने लिखा था—

‘मैं ठीक बज़तकी राह देख रहा हूँ; क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मिस्त्रीले खुद ही अपने सियासी सवालोंको हल कर ले। जब तक यूरापियनोंके जान-माल और खुनके हितोंको खतरा नहीं पहुँचता, मैं अपनी फ़ौजके साथ कोअी दखल देना नहीं चाहता।’

यह सीधी-सारी और यक़ीन पैदा करनेवाली बात है। मैं खुम्मीद करता हूँ कि आपसे मिलनेके लिये आये हुये अखबारनवीस हिन्दुस्तानपर हुक्मत करनेवाले अपने देशभावियोंसे कहेंगे कि वे, जैसा कि आपने एक बार कहा था, हिन्दुस्तानको ‘अीश्वरके और अराजकताके हाथमें’ छोड़कर चले जायँ। अधिसका यही अेक हल है, लेकिन बदकिस्मतीसे अधिस भिलाजको आजमानेमें हमेशा देर की जाती है। ब्रिटिश फौजोंने अभी तक मिल छोड़ा नहीं है। वर्धा, ५-१२-'४६ (अंग्रेजीसे)

का० का०

विषय-सूची

तरकीकी निशानी	पृष्ठ
सवाल-जवाब	४२५
छुआङ्गतकी जड़	४२५
शाखेके सहारे हैवानियत!	४२६
धर्मी राजसता	४२६
खादीका सन्देश	४२८
खादी-कामका विकेन्द्रीकरण	४२९
दविखनी अफ्रोकाके बेक जेलकी तसवीर	४३०
किशोरलाल घ० मशरूवाला	४३१
क्या आत्महत्याकी सलाह दी जा सकती है?	४३१
किशोरलाल घ० मशरूवाला	४३१
टिप्पणी	

हिन्दुस्तानी प्रचार परीक्षाये

सरकारी रुख	४३०
का० का०	४३२